

आवास वित्त कंपनियों का संवर्धन एवं विकास

राष्ट्रीय आवास बैंक से साम्य (इक्विटी) सहायतार्थ आवेदन

भाग - 1 : संगठन एवं प्रमुख गतिविधि

1. कंपनी का नाम
2. पूरा पता एवं फोन नं.
 - क. पंजीकृत कार्यालय
फोन नं.
फैक्स नं.
ई-मेल
 - ख. मुख्य/कॉरपोरेट कार्यालय
फोन नं.
फैक्स नं.
ई-मेल

ग. आवास वित्त कंपनी का शाखा संजाल

संलग्न करें निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार शाखाओं की एक सूची

शाखा का पूरा पता	टेलीफोन नं.	फैक्स नं.	ई-मेल
------------------	-------------	-----------	-------

3. राज्य का नाम जिसमें कंपनी पंजीकृत है ।
4. यदि मुख्य/कॉरपोरेट कार्यालय है, उस स्थान/राज्य, जिसमें यह पंजीकृत है, पर/में नहीं है, तब ऐसी व्यवस्था का कारण ।
5. कंपनी का नाम - सार्वजनिक/मानित सार्वजनिक/सरकारी ।
6. क्षेत्र - सार्वजनिक/निजी/संयुक्त ।
7. उस व्यापार सदन/ग्रुप का नाम जिससे कंपनी संबंध रखती है और उसी ग्रुप की अन्य कंपनियों की सूची ।
8. निगमित होने की तारीख ।
9. व्यापार प्रारम्भ करने की तारीख (व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र संलग्न करें) ।
10. संस्था के बहिर्नियमावली के अनुसार कंपनी का/के मुख्य उद्देश्य (संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ।
11. क्या कंपनी पंजीयक द्वारा यथा कंपनी वर्गीकृत है ? (अर्थात् 801.2 वर्गीकरण) ? यदि ऐसा है, वर्गीकरण की तारीख (कंपनी पंजीयक द्वारा जारी औद्योगिक वर्गीकरण का प्रमाण-पत्र संलग्न करें) ।

भाग-II : प्रवर्तकगण

1. निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार, मुख्य प्रवर्तकों का जीवनवृत्त दीजिए:

प्रवर्तक व्यक्ति:

नाम	आयु	पता	शैक्षिक योग्यता	पूर्व अनुभव	पूँजी/ऋण का अंशदान
-----	-----	-----	-----------------	-------------	--------------------

इसे पिछले तीन वर्षों में भरी गई विवरणियों/आयकर/धन निर्धारण आदेशों से समर्थित किया जाना चाहिए ।

प्रवर्तक कंपनी:

नाम	पता	निगमित होने की तारीख	पूँजी/ऋण का अंशदान	कुल व्यापार (3 वर्ष)	निवल धन (3 वर्ष)
-----	-----	----------------------	--------------------	----------------------	------------------

इसे प्रवर्तक कंपनी/(यों) की गतिविधियों एवं पिछले निष्पादन पर एक संक्षिप्त आलेख से समर्थित किया जाना चाहिए ।

संलग्न करें :

- प्रवर्तक कंपनी/(यों) के पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट/संपरीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा ।
 - शेयर धारण पद्धति, वेतन इत्यादि उपदर्शित करते हुए प्रवर्तकों के बीच, यदि कोई करार हुआ है, की प्रति ।
2. प्ररूप के अनुसार, 5% अथवा, अधिक के साम्य (इक्विटी) शेयरों को नियंत्रित अथवा रखने वाले शेयरधारकों की एक सूची उपलब्ध कराएं :

	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
प्रवर्तकगण		
औद्योगिक आवास (विनिर्दिष्ट करें)		
बैंक/वित्तीय संस्थान (विनिर्दिष्ट करें)		
अनिवासी भारतीय/विदेशी शेयर पूँजी (विनिर्दिष्ट करें)		
सार्वजनिक		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग		

साम्य (इक्विटी) शेयर धारकों और अधिमान शेयर धारकों की संख्या दें । अधिमान शेयर धारकों के मामले में, सबसे बड़े 10 शेयर धारकों की सूची दें ।

भाग-III : प्रबंधन/निदेशक मंडल

1. प्रस्तुत प्ररूप के अनुसार, निदेशकों की एक सूची प्रदान करें :

निदेशक	आयु	पता	शैक्षिक योग्यता	आवास वित्त उ अनुभव
--------	-----	-----	-----------------	--------------------

इसे व्यापार की प्रकृति, व्यापारावर्त, पिछले तीन वर्षों के लाभ पर जानकारी सहित उपर्युक्त के संबंध में संक्षिप्त आलेख से समर्थित किया जाए ।

2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक का नाम, पता और उसकी पृष्ठभूमि ।
3. क्या प्रवर्तकों अथवा निदेशकों में से किसी को किसी समय दिवालिया घोषित किया गया है ?
4. क्या संस्था की अंतर्नियमावली में राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा किसी निदेशक को नामित करने का प्रावधान है ?

5. आवास वित्त कंपनी, उसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा ग्रुप कंपनियों के लिए/के विरुद्ध अभियोग का विवरण ।

भाग-IV : आवास वित्त का विवरण

1. नाम, व्यापार, प्रबंधन इत्यादि में परिवर्तनों सहित फर्म का संक्षिप्त इतिहास दें । किसी प्रकार का विलय, पुनर्संगठन इत्यादि, जो विगत में हुआ, को भी उपदर्शित करें ।
2. सहायक कंपनियों की एक सूची दें जिसमें उनमें से प्रत्येक शेयरधारण का प्रतिशत और उनके व्यापार की प्रकृति दर्शाई गई है ।
3. निम्नलिखित प्ररूप (फॉर्मेट) के अनुसार वर्तमान प्रमुख तकनीकी एवं कार्यपालक कर्मचारियों/अधिकारियों की एक सूची दें :

नाम	आयु	शैक्षिक योग्यता	सेवाकाल की अवधि	पू
-----	-----	-----------------	-----------------	----

4. निम्नलिखित को शामिल करते हुए, आंतरिक प्रबंधन पर एक नोट :

- ऋण संबंधी प्रक्रिया
- ऋण की निगरानी
- ऋण की वसूली
- व्यतिक्रम की वसूली
- प्रबंध सूचना प्रणाली
- लेखांकन

उनके कंप्यूटीकरण की सीमा के साथ दें । इसके अतिरिक्त, विस्तार, सीमा एवं आवधिकता से प्रारम्भ करके आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकार्य पर एक नोट उसके प्रमुख अवलोकन सहित लगाएं ।

संलग्न : प्रणाली नियम पुस्तक (मैनुअल), यदि कोई है ।

भाग-5 : पूंजीगत ढांचा (पिछले 3 वर्ष के आंकड़े दिए जाएं)

1. प्राधिकृत पूंजी
2. चुकता पूंजी
3. निवल स्वाधिकृत निधि
 - क. चुकता पूंजी
 - ख. निर्बंध आरक्षित निधि
 - ग. योग (क+ख)
 - घ. हानि का संचित शेष
 - ङ. आस्थगित राजस्व व्यय का शेष
 - च. अन्य अमूर्त आस्तियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 - छ. योग (घ+ङ+च)
 - ज. स्वाधिकृत निधि (ग-छ)

4. शेयरधारण पद्धति -

	शेयरों की सं.	धारण का %	कंपनी के साथ व्यापारिक
प्रवर्तकगण			
प्रवर्तकों के मित्र एवं संबंधी			
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
वित्तीय संस्थान (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
रा.आ.बैंक से अनुमोदित आवास वित्त कंपनियां			
अनिवासी भारतीय/विदेशी धारिता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
अन्य संस्थान/कंपनियां			
जनता			
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
योग			

5. सहायक एवं उसी ग्रुप की कंपनियों में बकाया ऋण एवं अग्रिम तथा उनमें जमाराशियां ।
6. सहायक और उसी ग्रुप की कंपनियों तथा सभी गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थानों के शेयरों में निवेश ।
7. योग (5+6)
8. निवल स्वाधिकृत निधि से काटा जाने वाला 10% से ऊपर (5+6)/7 का अधिक ।
9. जहां कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित होता है, उन अन्य कंपनियों, फर्मों एवं संबंधित संपत्तियों में शेयरों, ऋणों और अग्रिमों के जरिए निवेश ।

भाग - VI : उधार लेना (पिछले 3 वर्षों के आंकड़े दिए जाएं)

1. आवास वित्त कंपनियों की उधार लेने की शक्ति ।
2. उधार की कुल राशि ।

प्रतिभूत उधार की राशि :

बैंकों से ऋण तथा अग्रिम	
वित्तीय संस्थानों से ऋण	
डिबेंचर/बंधपत्र	
विदेश से उधार की राशि	
अन्य	
योग	

अप्रतिभूत उधार की राशि :

जमाराशियां	
- स्थिर	
- आवर्ती	
- अन्य	
अंतर-कंपनी जमाराशियां	
अन्य	
योग	

3. विदेश से उधार की राशि, यदि कोई है

राशि	
मुद्रा	
ब्याज की दर	
अवधि	
अंतिम उल्लिखित उपयोग (यदि कोई है)	
विनिमय जोखिम, किसके द्वारा वहन ?	

4. आ.वि.कं.(रा.आ.बैंक) निर्देश, 1989 के भाग-II के पैराग्राफ 6 के अनुसार जमाराशियों की स्वीकृत प्रमात्रा - 10 या 12.5 या निवल स्वाधिकृत निधि का 15 गुणा

अनुच्छेद में कहा गया है :-

आवास वित्त कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि	निवल स्वाधिकृत निधि के एक गुण
10 करोड़ रुपए तक	10 गुणा
10 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 20 करोड़ रुपए से कम	12.5 गुणा
20 करोड़ रुपए से अधिक	15 गुणा

5. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रदत्त प्रतिभूति का प्रकार ।
6. उसी समूह की कंपनियों से लिए उधार का विवरण ।
7. क. सार्वजनिक जमाराशियों के लिए समनुदेशित ऋण-पात्रता निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) :-

ऋण-पात्रता निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) और उसका अर्थ	
निर्धारण (रेटिंग) अभिकरण का नाम	
किस प्रकार की जमाराशियां शामिल हैं	
निर्धारण (रेटिंग) कब तक विधिमान्य है ?	

यदि ऋण-पात्रता निर्धारण(क्रेडिट रेटिंग)) एक से अधिक अभिकरणों से प्राप्त किया गया है, तब दोनों का विवरण दें ।

- ख. स्वयं आ.वि.कं. को समनुदेशित ऋण-पात्रता निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) :-

ऋण-पात्रता निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) और उसका अर्थ	
ऋण-पात्रता निर्धारण अभिकरण का नाम	
निर्धारण (रेटिंग) कब तक विधिमान्य है ?	

यदि ऋण-पात्रता निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एक से अधिक अभिकरण से प्राप्त किया गया है, तब दोनों का विवरण दें ।

8. निम्नलिखित रूप में रखी अर्थसुलभ आस्तियां :-

- क. किसी भी अनुसूचित बैंक/बैंकों में शेष का कोई ग्रहणाधिकार नहीं
ख. विलंगम रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. क्या किसी समय राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से जारी किए गए जमाराशियों से संबंधित आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 1989 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया था ?

10. आवास वित्त कंपनी/समूह कंपनियों की ओर से व्यतिक्रम (यदि कोई है)

भाग - VII : उधार (पिछले 3 वर्ष के आंकड़े दिए जाएं)

1. उधार देने से संबंधित मानदंड - हर प्रकार के उधारकर्ता के लिए पृथक रूप से दें

	वैयक्तिक	निगमित निकाय	विकासक
ऋण-स्तर (स्लैब)			
ब्याज की दरें			
स्वीकृत मार्जिन			
प्राप्त प्रतिभूति/संपार्श्विक			
किसी भी उधारकर्ता को प्रदत्त रियायत, यदि कोई है, और उसका कारण			
किस्त-आय अनुपात			

2. निम्नलिखित को बकाया ऋण एवं अग्रिम - (पिछले 3 वर्ष के आंकड़े)

- क. व्यक्तियों को
ख. भवन निर्माताओं को
ग. निगमित निकायों को
घ. अन्यो को (विनिर्दिष्ट करें)

3. राशि और वित्त पोषित इकाइयां बताते हुए संस्वीकृतियां एवं संवितरण (पिछले 3 वर्षों के वर्षवार एवं संचयी आंकड़े) । संस्वीकृतियों एवं संवितरणों के बीच किसी सार्थक भिन्नता का स्पष्टीकरण दें ।

4. निम्नलिखित के लिए आवास ऋणों का प्रतिशत :-

- क. कुल उधार
ख. नियोजित पूंजी

5. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विवेकसम्मत मानदंडों के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में ऋण का संकेन्द्रण उपदर्शित करें ।

6. कुल बकाया आवास ऋणों के लिए व्यक्तियों को आवास ऋणों का प्रतिशत ।

7. कुल मांग की अतिदेय स्थिति

1. पूर्वतम वर्ष के अतिदेय	
2. चालू वर्ष की मांग	

3. कुल मांग (1+2)	
4. वसूली	
5. चालू वर्ष के अतिदेय (4-3)	

8. वर्ष में (पिछले 3 वर्षों की) कुल मांग की अतिदेय स्थिति आयु-क्रम से

0-3 महीने	
3-6 महीने	
6-12 महीने	
1-2 वर्ष	
2-3 वर्ष	
3 वर्षों से अधिक	
वसूली का %	

9. कुल बकाया ऋणों के लिए प्रशासनिक लागत का प्रतिशत
10. कितना प्रारम्भिक प्रभार उद्ग्रहित किया गया है और उसका विवरण
11. उद्ग्रहित पूर्वभुगतान प्रभार-कितना और किन परिस्थितियों में उद्ग्रहित किया गया ?

भाग - 8 : वित्तीय संकेतक

1. वित्तीय अनुपात (पिछले 3 वर्षों का)
 - क. ऋण-साम्य (इक्विटी)
 - ख. कितना ब्याज शामिल किया गया ?
 - ग. चालू अनुपात
 - घ. ईपीएस
2. वित्तीय संकेतक (पिछले 3 वर्षों के)
 - क. परिचालन आय
 - ख. गैर-परिचालन आय
 - ग. पीबीआईटी
 - घ. ब्याज प्रभार
 - ङ. कर (टैक्स)
 - च. पीएटी
 - छ. लाभांश (%)
 - ज. निवल स्वाधिकृत निधि
 - झ. नियोजित पूंजी
3. पिछले 3 वर्षों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात
4. क. उधार लेने की औसत अवधि
- ख. उधार देने की औसत अवधि
5. (पिछले 3 वर्षों की) उधार लेने की औसत लागत
6. (पिछले 3 वर्षों का) उधार देने पर औसत प्रतिफल)
7. आकस्मिक देनदारियों (चालू वर्ष के लिए, यदि कोई है)
8. यदि कंपनी के अस्तित्व में रहते किसी समय आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित किया गया अथवा विवरण दिया गया है, तब ऐसे पुनर्मूल्यांकन का विवरण उसके कारणों सहित दें ।
9. क्या आवास वित्त कंपनी सूचीबद्ध है ? यदि हां, तब निम्नलिखित बताएं :-
 - जिस शेयर बाजार में यह सूचीबद्ध है, उसका नाम
 - प्रत्येक शेयर बाजार में पिछले 3-5 वर्षों के लिए उच्च, निम्न और औसत वार्षिक बाजार मूल्य
10. रजिस्ट्रार/अंतरण अधिकर्ता का नाम

11. क्या आवास वित्त कंपनी ने आयकर अधिनियम की धारा 36(i)(viii) के अधीन अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ?

भाग - IX : घोषणा

घोषणा

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी ओर से दी गई सभी जानकारी सत्य है कि मेरी/हमारी किसी बैंक के साथ, कंपनी के लिए, आवेदन में यथा उपदर्शित के अतिरिक्त, उधार लेने संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है कि मेरे/हमारे विरुद्ध कोई भी विधिक कार्रवाई की गई/की जा रही है कि मैं/हम, मेरे/हमारे आवेदन के संबंध में आपकी ओर से अपेक्षित अन्य सभी जानकारी प्रस्तुत करूंगा/करेंगे कि जिसे आप उचित समझें, ऐसे किसी अभिकरण के साथ, वर्तमान एवं भविष्य में, कंपनी के उधार लेने से संबंधित, आपके पास उपलब्ध इस और अन्य किसी भी जानकारी का आदान-प्रदान भी किया जा सकता है और यह कि आप, आपके प्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक के एवं आपकी ओर से यथा प्राधिकृत किसी अभिकरण के प्रतिनिधि किसी भी समय हमारे कॉरपोरेट कार्यालय और व्यापार परिसर में हमारी आस्तियों/लेखाबहियों का निरीक्षण/सत्यापन कर सकते हैं ।

"मैं/हम यह और प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि आज की तारीख में अधोहस्ताक्षरी, अन्य प्रवर्तकों और उस कंपनी/उन कंपनियों, जिनमें मैं/अन्य प्रवर्तकगण एक प्रवर्तक/निदेशक/भागीदार/स्वत्वधारी के रूप में कोई हित रखते हैं, की ओर से वित्तीय संस्थानों/बैंकों के लिए कोई अतिदेय नहीं है । मैं (हम यह आगे प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/अन्य प्रवर्तकों/उस कंपनी अथवा उन कंपनियों, जिसमें/जिनमें मैं/अन्य प्रवर्तकगण निदेशक/निदेशकगण है/हैं के विरुद्ध कोई सांविधिक अतिदेय (राशियां) लम्बित नहीं हैं ।"

प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर :

तारीख :

नाम एवं पदनाम :

स्थान :

कंपनी का नाम :

संलग्नक

1. सम्पूर्ण पते सहित आवास वित्त कंपनी की शाखाओं की सूची (भाग-I, क्र.सं.2(ग))
2. व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र (भाग-I, क्र.सं.9)
3. संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद की प्रमाणित प्रति (भाग-I, क्र.सं.10)
4. कंपनी पंजीयक द्वारा औद्योगिक वर्गीकरण का प्रमाण-पत्र (801.2) (भाग-I, क्र.सं.11)
5. उन व्यक्तियों/फर्मों की सूची जो प्रवर्तक की पूंजी के शेयर में और संबंधित राशि में अंशदान करेंगे और उनसे संबंध (भाग-II, क्र.सं.1)
6. प्रवर्तक कंपनी/कंपनियों की पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट/संपरीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा (भाग-II, क्र.सं.1)
7. शेयरधारण पद्धति, वेतन इत्यादि उपदर्शित करते हुए, प्रवर्तकों के बीच यदि कोई करार हुआ है, तो उसकी प्रति (भाग-II, क्र.सं.1)
8. निदेशकों की उन फर्मों, जिनसे निदेशक, भागीदार, स्वत्वधारी के रूप में संबद्ध रहे हैं, की पूर्ण सूची के साथ (निदेशकों) की सूची (भाग-III, क्र.सं.1)
9. प्रवर्तकों, अन्य बड़े समूह (ग्रुपों), विदेशी सहयोगियों और साम्य (इक्विटी) शेयरों का 5% धारित अथवा नियंत्रित करने वाले संस्थान शीर्षकों के अधीन शेयरधारकों की एक सूची/धारित राशि तथा कंपनी के साथ यदि कोई व्यापारिक संबंध है, को भी उपदर्शित करें। अनिवासी भारतीयों की शेयरधारिता, यदि कोई है, को उपदर्शित करें। अधिमान शेयरधारकों के मामले में, दस सबसे बड़े शेयरधारकों की एक सूची दें। साम्य (इक्विटी) शेयरधारकों और अधिमान शेयरधारकों की संख्या भी दें (भाग-II, क्र.सं.2)
10. वर्तमान प्रमुख तकनीकी और कार्यपालक कर्मचारीवृन्द का विवरण, उनके नाम, आयु, योग्यता, वेतन, सेवा अवधि सहित दें (भाग-IV, क्र.सं.3)
11. संगठनात्मक तालिका संलग्न करें जिसमें प्राधिकार क्रम दर्शाया गया है (भाग-IV, क्र.सं.3)
12. किसी भी अपराध के लिए कंपनी अथवा उसके प्रवर्तकों अथवा निदेशकों के विरुद्ध, यदि कोई सरकारी पूछताछ की कार्यवाही अथवा अभियोग संस्थापित किया गया है, तब उसका विवरण दें (भाग-III, क्र.सं.5)
13. संबंधित आवेदक और प्रवर्तकों के बारे में जिन बैंकों से पूछताछ की गई, उनके नाम एवं पता बताएं (भाग-VI, क्र.सं.1)
14. ऋणदाता संस्थान के साथ विचार-विमर्श करने के लिए बैंक हेतु प्रवर्तकों/कंपनी से प्राधिकार-पत्र (भाग-VI, क्र.सं.1)
15. फर्म (कंपनी) द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ली गई ऋण सुविधाओं का विवरण (भाग-VI, क्र.सं.1)

संलग्नक संबंधी जांच

क्र.सं.	शीर्षक	संदर्भ
1.	आवास वित्त कंपनी की शाखाओं की सूची एवं उनका पूर्ण पता	1.2.सी
2.	व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र	1.9.
3.	संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद की प्रमाणित प्रति	1.10.
4.	कंपनी पंजीयक (801.2) द्वारा औद्योगिक वर्गीकरण का प्रमाण-पत्र	1.11.
5.	उन व्यक्तियों/फर्मों की सूची, जो प्रवर्तक पूंजी के शेयरों में और संबंधित खातों में अंशदान करेंगे और उनका संबंध	II.1.
6.	प्रवर्तक कंपनी(यों) की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट/संपरीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा	II.1.
7.	साम्य (इक्विटी) शेयरों का 5% अथवा अधिक के स्वामी अथवा नियंत्रक संस्थान एवं विदेशी सहयोगियों, अन्य बड़े गुप, प्रवर्तक शीर्षकों के अधीन शेयर धारकों की एक सूची/स्वाधिकृत राशि और कंपनी के साथ, यदि कोई व्यापारिक संबंध है, का उल्लेख करें । अनिवासी भारतीयों की शेयर धारिता, यदि कोई है, उपदर्शित करें । अधिमान शेयरधारकों के मामले में, दस बड़े शेयरधारकों की एक सूची दें । साम्य (इक्विटी) शेयरधारकों एवं अधिमान शेयरधारकों की संख्या भी दें ।	II.2.
8.	शेयरधारण पद्धति, वेतन इत्यादि उपदर्शित करते हुए, प्रवर्तकों के बीच, यदि कोई करार हुआ है, तो उसकी प्रति ।	II.1.
9.	निदेशकों की उन फर्मों, जिनसे वे निदेशक, भागीदार, स्वत्वधारी के रूप में संबद्ध रहे हैं, के साथ सूची ।	III.1.
10.	वर्तमान प्रमुख तकनीकी एवं कार्यपालक कर्मचारीवृंद के नाम, आयु, योग्यता, वेतन, सेवा अवधि सहित विवरण ।	IV.3.
11.	संगठनात्मक तालिका और प्राधिकार का क्रम ।	IV.3
12.	किसी अपराध के लिए कंपनी अथवा उसके प्रवर्तकों अथवा निदेशकों के विरुद्ध, यदि कोई सरकारी पूछताछ अथवा अभियोग की कार्यवाही संस्थापित की गई है, तब उसका विवरण दें ।	IV.3.
13.	उस/उन बैंक/बैंकों के नाम एवं पते जिनसे आवेदक कंपनी और प्रवर्तकों के बारे में पूछताछ की गई है ।	VI.1.
14.	उधारदाता संस्थान के साथ विचार-विमर्श करने हेतु बैंक के लिए प्रवर्तकों/कंपनी से प्राधिकार पत्र ।	VI.1.
15.	कंपनी द्वारा बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण सुविधाओं का विवरण ।	VI.1.

संबद्ध संलग्नक --> हां/x नहीं/- लागू नहीं